UPST010018622026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू.पी.1885

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–596 / 2026

विनीत कुमार उर्फ बबलू उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र लालता प्रसाद, निवासी ग्राम ऐंधी, थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी ..... प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–44 / 2026,
धारा–109(1), 115(2), 351(3),
352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता
थाना–गौरीगंज, जनपद–अमेठी

दिनांक 19.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त विनीत कुमार उर्फ बबलू की ओर से थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–44 / 2026 अन्तर्गत धारा–109(1), 115(2), 351(3), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम / नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हुआ है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा हरिकेश द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 20.02.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी हरिकेश पुत्र लालता प्रसाद और लालता प्रसाद पुत्र लहूरी एवं बब्लू पुत्र लालता प्रसाद के बीच भूमि के आधे हिस्से का समझौते के आधार पर बंटवारा हुआ था। बंटवारे की भूमि पर आपसी समझौते के आधार पर वादी अपने हिस्से की ज़मीन पर मकान निर्माण कर रहा था। वादी की ज़मीन लगभग 7 फिट उठ चुकी थी तो वादी के पिता ने वादी से कहा कि मुझे आपकी ज़मीन में भी 2 फिट ज़मीन चाहिए। वादी ने कहा कि मेरी दीवाल तो लगभग 7

फिट उठ चुकी है तो मैं आपको कैसे ज़मीन दूं तो वादी के पिता लालता प्रसाद द्वारा वादी की बनी दीवाल को गिरा दिया गया। मना करने पर बब्लू, जितेन्द्र, लोखई, राजेश आदि लोग एकराय होकर वादी व वादी की पत्नी को गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लोहे की सरिया व फावड़ा से जमकर मारे पीटे, जिससे वादी की पत्नी ज्ञाना को सिर पर काफी बड़ा घाव हो गया है तथा वादी के साले राधेश्याम के नाक व आंख पर गम्भीर चोट आयी है। फूलचन्द्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। वादी की पत्नी की हालत बहुत गम्भीर बनी हुई है। आज भी विपक्षीगण वादी व उसकी पत्नी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण बब्लू (प्रार्थी/अभियुक्त), जितेन्द्र, लोखई व राजेश के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसे पारिवारिक रंजिश के कारण गलत तथ्यों के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की माता लीलावती को हरिकेश, ज्ञाना, राधेश्याम, फूलचन्द्र, हरिश्चन्द्र दि0 17.02.2026 समय लगभग 3:00 बजे शाम को जमीनी विवाद को लेकर मार पीट रहे थे, प्रार्थी द्वारा बचाव का प्रयास करने पर उसे भी लाठी–डण्डे, लात घूसे व पंच से मारा गया, जिससे लीलावती को गम्भीर चोटें आयीं। पुलिस को 112 नम्बर पर सूचना देने पर पुलिस आयी तथा पुलिस द्वारा व उसकी मां की चोटों का डॉक्टरी मुआयना कराया गया। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की गयी। उक्त घटना से बचने के लिए प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य लोगों के विरूद्ध फर्जी चोटों के आधार पर यह मुकदमा पंजीकृत कराया गया। अभियोजन द्वारा प्राथमिकी में घटना कोई दिनांक, समय व स्थान नहीं दिखाया गया है। अभियोगी प्रार्थी/अभियोगी का सगा बड़ा भाई है। तथाकथित घटना के समय अभियोगी के साले राधेश्याम व फूलचन्द्र की उपस्थिति का कोई कारण नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में लाठी व डण्डे से मारने की बात नहीं की गयी है, जबकि फर्द बरामदगी में प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया कोई हथियार बरामद नहीं है। चोटहिल को आयी सभी चोटें साधारण प्रकृति की है, कोई भी चोट गम्भीर अथवा जानलेवा प्रकृति की नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दि0 22.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत

प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा एवं उसकी पत्नी ज्ञाना को गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लोहे की सरिया व फावड़ा से बुरी तरह मारा पीटा गया, जिससे वादी की पत्नी ज्ञाना को सिर पर काफी बड़ा घाव हो गया तथा वादी के साले राधेश्याम के नाक व आंख पर गम्भीर चोट आयीं तथा फूलचन्द्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। गवाहों ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। मजरूबा ज्ञाना ने विवेचक को दिये अपने बयान में स्पष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही उसके सिर पर प्रहार करने का कथन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो दि0 20.02.2026 को दर्ज करायी गयी है, में बब्लू, जितेन्द्र, लोखई व राजेश पर यह आक्षेप है कि उन्होने एकराय होकर वादी व उसकी पत्नी को गालियां देते हुए जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार व लोहे की सरिया व फावड़ा से जमकर मारा पीटा, जिससे वादी की पत्नी ज्ञाना को सिर पर काफी बड़ा घाव हो गया तथा वादी के साले राधेश्याम के नाक व आंख पर गम्भीर चोट आयी तथा फूलचन्द्र का हाथ फ्रैक्चर हो गया। वादी की पत्नी की हालत बहुत गम्भीर बनी हुई है। विपक्षीगण वादी व उसकी पत्नी को लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

2. वादी मुकदमा हरिकेश, घटना में घायल हुए फूलचन्द्र, राधेश्याम एवं श्रीमती ज्ञाना ने अपने–अपने धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में घटना का समर्थन किया है।

3. केस डायरी के पर्चा नं0 4 में विवेचक द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दि0 24.12.2026 को अर्थात् घटना के करीब 7 दिन बाद जब विवेचक मजरूबा की तलाश करते हुए जिला अस्पताल गौरीगंज जनपद अमेठी उपस्थित आए तो वहां पर मजरूबा इमेरजेन्सी वॉर्ड के बेड नं0 3 पर लेटी थी, जिनसे मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में बयान अंकित करने का प्रयास किया गया तो मजरूबा कुछ बोल पाने में असमर्थ थी।

4. केस डायरी के पर्चा नं0 6 से यह स्पष्ट है कि मजरूबा ज्ञाना का बयान दि0 05.03.2026 को विवेचक द्वारा अंकित किया गया और मजरूबा ने न केवल अपने बयान में घटना का समर्थन किया, बल्कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह विशिष्ट आक्षेप लगाया कि बब्लू उर्फ विनीत कुमार ने जान से मारने की नीयत से

हाथ में लिए बांस के डण्डे से मेरे सिर पर मार दिया। मैं तुरन्त जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मुझे काफी देर बाद कुछ होश आया। मेरे सिर पर काफी बड़ी चोट है, जिससे मेरी हालत बहुत गम्भीर बनी हुई है और मुझे बार–बार उल्टियाँ हो रही हैं और कुछ बोलने का प्रयास करने पर बार–बार बेहोश हो जाती हूँ। विपक्षीगण अब भी लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं।

5. चोटहिल राधेश्याम, जिसका बयान केस डायरी के पर्चा नं0–7 में दर्ज है, ने भी विशिष्ट रूप से प्रार्थी/अभियुक्त विनीत कुमार पर ही यह आक्षेप लगाया है कि उसने जान से मारने की नीयत से डण्डे से ज्ञाना के सिर पर मार दिया और वह तुरन्त जमीन पर गिर पड़ी।

6. केस डायरी में घटना में चोटहिल हुए राधेश्याम, फूलचन्द्र, श्रीमती ज्ञाना की आघात आख्याएं उपलब्ध हैं। चोटहिल राधेश्याम की आघात आख्या से यह स्पष्ट है कि उसे दो चोटें आयी थीं, पहली चोट बायीं आंख के नीचे नीलगू निशान की चोट थी तथा दूसरी चोट नाक की जड़ पर स्वैलिंग व टेन्डरनेस की चोट थी। दोनो चोटों को चेहरे के सी0टी0स्कैन के लिए रेडियोलॉजिस्ट व ई0एन0टी0 सर्जन के पास अग्रिम प्रबन्धन हेतु भेजा गया। चोटहिल फूलचन्द्र की आघात आख्या से यह स्पष्ट है कि उसे बायीं कुहनी की संधि पर स्वैलिंग व टेन्डरनेस की चोट आयी थी। इस चोट को एक्स–रे हेतु रेडियोलॉजिस्ट के पास तथा अग्रिम प्रबन्धन हेतु ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास रेफर किया गया। चोटहिला श्रीमती ज्ञाना की आघात आख्या से यह स्पष्ट है कि उसे एक चोट आयी है, जो फटे हुए घाव की 7 सेमी0 x 0.5 सेमी0 x मांसपेशी तक गहरी खोपड़ी के मिड पेराइटल क्षेत्र में थी।

7. उपर्युक्त सभी आघात आख्याएं जिला संयुक्त चिकित्सालय गौरीगंज में तैयार की गयी थीं। श्रीमती ज्ञाना की आघात आख्या समय 5:25 बजे, फूलचन्द्र की आघात आख्या समय 8:45 बजे एवं राधेश्याम की आघात आख्या समय 8:25 बजे तैयार की गयी है। राधेश्याम व फूलचन्द्र की आघात आख्या में चोटों को 06 घण्टे के अंदर की होना बताया गया, जबकि श्रीमती ज्ञाना की आघात आख्या में चोट को ताज़ा बताया गया। उपर्युक्त आघात आख्याओं से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि घटना दि0 17.02.2026 की है।

8. दि0 18.02.2026 की श्रीमती ज्ञाना की सी0टी0स्कैन रिपोर्ट केस डायरी में उपलब्ध है, जिसमें यह उद्धृत है कि, “Scalp swelling with subgaleal haematoma is noted in bilateral high fronto-parietal region.”

9. प्रार्थी/अभियुक्त विनीत कुमार उर्फ बब्लू से घटना में प्रयुक्त किये गये डण्डे की बरामदगी हुई है, जो रक्तरंजित था और खून की छींटे लगे थे।

10. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि मजरूबा ज्ञाना की आघात आख्या के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उसे केवल एक चोट आयी थी, जिसे डॉक्टर द्वारा साधारण प्रकृति का होना पाया गया था और उक्त चोट को कहीं रेफर भी नहीं किया गया था, जबकि अन्य दो मजरूबगण फूलचन्द व राधेश्याम को उनकी चोटों के लिए रेडियोलॉजिस्ट के पास रेफर किया गया था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि ज्ञाना की चोट अत्यन्त ही साधारण थी और बाद में झूठे तौर पर चोट को गम्भीर बनाने का प्रयास किया गया है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि ज्ञाना की आघात आख्या दिनांकित 17.02.2026 की है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उसकी खोपड़ी के मिड पेराइटल क्षेत्र में फटे हुए घाव की 7 सेमी0 x 0.5 सेमी0 x मांसपेशी तक गहरी चोट थी। सिर के बीचों–बीच आयी इस चोट की गम्भीरता सी0टी0स्कैन रिपोर्ट से भी स्पष्ट होती है। वर्तमान प्रकरण में मजरूबा का सी0टी0स्कैन, घटना के दूसरे दिन अर्थात् 18.02.2026 को किया गया है, जिसमें "Scalp swelling with subgaleal haematoma is noted in bilateral high fronto-parietal region" पायी गयी है। पुनः, केस डायरी के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि घटना के 07 दिन बाद भी मजरूबा ज्ञाना विवेचक को बयान देने की स्थिति में नहीं थी। मजरूबा ज्ञाना ने विवेचक द्वारा दि0 05.03.2026 को लिये गये बयान में स्वयं यह कथन किया है कि मेरे सिर पर काफी बड़ी चोट है, जिससे मेरी हालत बहुत गम्भीर बनी हुई है और मुझे बार–बार उल्टियाँ हो रही हैं और कुछ बोलने का प्रयास करने पर बार–बार बेहोश हो जाती हूँ।

11. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान प्रकरण की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि इसमें घटना का दिनांक व समय नहीं बताया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में मजरूबों का मेडिकल दि0 17.02.2026 का है, जबकि प्राथमिकी दि0 20.02.2026 को दर्ज करायी गयी है। स्पष्ट है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ऐसे में अभियोजन कथानक विश्वसनीय नहीं रह जाता है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से भी सहमत नहीं है क्योंकि घटना में वादी की पत्नी ज्ञाना के सिर में गम्भीर चोट आयी थी। साथ ही वादी के दो सालों फूलचन्द्र व राधेश्याम को भी चोटें आयी थीं, जिसके अग्रिम इलाज एवं प्रबन्धन के लिए उन्हें रेडियोलॉजिस्ट एवं ई0एन0टी0 विशेषज्ञ के पास रेफर किया गया था। इन परिस्थितियों में अगर दि0 17.02.2026 की घटना की रिपोर्ट दि0 20.02.2026 को दर्ज करायी गयी है तो इसे विलम्ब का युक्तियुक्त कारण समझा जाएगा।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विनीत कुमार उर्फ बबलू की ओर से थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी के मुकदमा अपराध संख्या–44/2026 अन्तर्गत धारा–109(1), 115(2), 351(3), 352, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 19.03.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code UP 1885

आशुलिपिक– मधुलिका सिंह

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR